न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
01 /25	100, 101 BNSS		

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जितेन्द्र	बनाम	पूजा वगै.
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11/2/2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 100, 101 BNSS विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सारिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व अभिभाषक प्रार्थी को मौखिक बहस के आधार पर अप्रार्थीगण की तलाशी हेतु वारन्ट थानाधिकारी सदर बारां को जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 03/03/25 को पेश हो। [signature]	
03/3/25	पीठासीन अधिकारी अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 04/3/25 को प्रस्तुत हो. [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	पूजा [signature] [illegible]
04/3/25	पत्रावली पेश हुई।थानाधिकारी सदर बारां द्वारा सर्च वारण्ट की पालना में अप्रार्थी क्रम 1 को आज पेश किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 बयान हेतु उपस्थित हुई। अप्रार्थी क्रम के बयान लेखबद्ध किये गये। अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने बयानों में कथन किया कि मेरा नाम पूजा पत्नी जितेन्द्र मेघवाल पुत्र हीरालाल निवासी फतेहपुर से लगभग 8–10 वर्ष पूर्ण सामूहिक विवाह सम्मेलन ग्राम कोयला तहसील बारां में हुई है। मेरे कोई बच्चा नही है। मेरे पति जितेन्द्र मेरे साथ आये दिन लडाई–झगडा करता है। जिसके कारण में मेरे माता–पिता के साथ पीहर गई हूँ। मेरे पिता द्वारा मुझे जबरदस्ती नही ले जाया गया है। मेरे पिता द्वारा मुझे केद नही किया हुआ है मैं मेरी से अपने माता–पिता के साथ रह रही हूँ। में यहा से भी मेरे माता–पिता के साथ ही जाना चाहती हूँ। मेरे माता–पिता द्वारा कोई जबरदस्ती करकें केद नही किया हुआ है। में मेरी मर्जी से माता–पिता के साथ गई हूँ। अतः उक्त प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1के बयानों के अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 को किसी के द्वारा जोर जबरदस्ती पकडा या कैद किया जाना नही पाया गया। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 100, 101 BNSS खारिज किया जाता है। हस्तगत अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दपतर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बारां	